सॉफ्टवेयर उत्पादों पर राष्ट्रीय नीति (2019)

I. प्रस्तावना

I.1. देश का सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवा (आईटी-आईटीईएस) उद्योग भारत के आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। यह उद्योग सभी क्षेत्रों, अर्थात् कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, विनिर्माण इत्यादि में नई प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने के लिए क्षमताओं को विकसित करने के लिए भारत को सक्षम बनाने हेतु चालक बल रहा है। नैसकॉम के मुताबिक,यह सालाना आधार पर 126 बिलियन अमरीकी डालर के निर्यात सहित 168 अरब अमेरिकी डॉलर का अनुमानित राजस्व पैदा कर रहा है, जो भारत के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 8% का योगदान दे रहा है। यह उद्योग संगठित क्षेत्र के सबसे बड़े नियोक्ताओं में से एक बड़ा नियोक्ता भी है, जो लगभग 14 मिलियन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नौकरियां पैदा करता है। यह भी अनुमान लगाया गया है कि उद्योग 2025 तक 350 बिलियन अमरीकी डालर का योगदान कर सकता है, जो भारत के सकल घरेलू उत्पाद के ~ 10 प्रतिशत के बराबर है।

I.2. वर्ष 2015 में सरकार द्वारा लॉन्च किए गए डिजिटल इंडिया प्रोग्राम ने यह सुनिश्चित किया है कि भारतीय आईटी उद्योग प्रतिस्पर्धी गुणवत्ता और लागत पर विश्व स्तर की सेवाएं प्रदान करता है। यह कार्यक्रम भारत को प्रौद्योगिकी के आधार पर एक ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था और डिजिटल रूप से सशक्त समाज में परिवर्तित कर रहा है, जो समावेशी, किफायती और टिकाऊ है। इसने डिजिटल समावेशन की सामान्य परम्परा के साथ डिजिटल एक्सेस, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल सशक्तिकरण और डिजिटल विभाजन के अंतराल को दूर करना सुनिश्चित किया है। नतीजतन, भारत का डिजिटल फुटप्रिंट वर्ष 2025 तक ट्रिलियन डॉलर डिजिटल इकोनॉमी बनने की संभावना के साथ दुनिया में सबसे तेज़ी से बढ़ रहा है। डिजिटल परिवर्तन का भारत का आंदोलन वैश्विक समानता के साथ आगे बढ़ रहा है।

I.3. भारत का आईटी उद्योग मुख्य रूप से एक सेवा पर आधारित उद्योग है। भारतीय सॉफ्टवेयर उत्पादों के लिए भारतीय आईटी उद्योग की क्षमता और देश में नवीन और तकनीकी क्षमताओं के निर्माण के लिए जबरदस्त गुंजाइश है। नैसकॉम की सामरिक समीक्षा 2017 के अनुसार वैश्विक सॉफ्टवेयर उत्पाद उद्योग का मूल्य अनुमानतः 413 अरब अमेरिकी डॉलर है। हालांकि, भारतीय आईटी-आईटीईएस राजस्व में सॉफ्टवेयर

उत्पादों का योगदान सिर्फ 7.1 बिलियन अमरीकी डालर है, जिसमें 2.3 बिलियन अमरीकी डालर का निर्यात शामिल है। दूसरी ओर सॉफ्टवेयर उत्पादों का आयात लगभग 10 बिलियन अमरीकी डालर होने का अनुमान है, इसप्रकार भारत वर्तमान में सॉफ्टवेयर उत्पादों का निबल आयातक है। इसलिए, मुख्य रूप से सेवा उन्मुख भारतीय आईटी/आईटीईएस उद्योग को एक तकनीकी उन्मुख उत्पाद और सेवा उद्योग में बदलने के लिए एक अनुकूल सॉफ्टवेयर उत्पाद पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना समझदारी है।

I.4. सॉफ्टवेयर उत्पाद पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषताओं में नवाचार, बौद्धिक संपदा (आईपी) निर्माण और बड़ी मूल्य वृद्धि, उत्पादकता में वृद्धि, जिनमें इस क्षेत्र में राजस्व और निर्यात को काफी हद तक बढ़ावा देने की क्षमता है, उभरती हुई प्रौद्योगिकियों में वास्तविक रोजगार और उद्यमशीलता के अवसर पैदा करना और डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत उपलब्ध लाभदायक अवसरों का लाभ उठाना आदि शामिल हैं। इस प्रकार, समावेशी और टिकाऊ विकास में वृद्धि हुई है।

I.5. सॉफ्टवेयर उत्पाद उद्योग के विकास के परिणामस्वरूप भारतीय आईटी / आईटीईएस क्षेत्र के पूरे स्पेक्ट्रम के लिए और इसलिए समग्र अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक बाह्यताएं हो सकती हैं, इसके लिए प्लेटफ़ॉर्म के विकास को सुविधाजनक बनाते हुए यह सुनिश्चित किया जाता है कि क्षेत्रों के लिए क्षेत्र-विशिष्ट प्रौद्योगिकी-आधारित समाधान उत्पन्न किए जाएं, जो संबंधित क्षेत्र की अपरिपक्व विकास क्षमता को परिपक्व बनाएगा। इसके अलावा, अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में अधिकतम लाभ के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ब्लॉक चेन इत्यादि जैसी नई और उभरती प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाने के लिए विश्व स्तर पर प्रौद्योगिकी के उन्नयन के साथ गति बनाए रखने के लिए उच्च स्तर के नवाचार की आवश्यकता होती है। मूल्यवर्धन जो इस प्रकार से घटित होगा, उसमें अत्यधिक क्षमता के अहसास से प्रत्येक क्षेत्र की विकास दर को बढ़ावा मिलेगा, जिसका मुख्य रूप से पूरी तरह से अभी उपयोग नहीं किया जा रहा है।

I.6. भारत में सॉफ्टवेयर उत्पाद उद्योग की इष्टतम तरीके से क्षमता का एहसास करने के लिए एक ऐसे ढांचे की आवश्यकता है जहां उद्योग जगत, शिक्षा जगत और सरकार देश के आईटी / आईटीईएस क्षेत्र में एक आदर्श बदलाव लाने के लिए समानता और सहक्रिया के साथ काम करती है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में " राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर उत्पाद नीति" (एनपीएसपी) पहला महत्वपूर्ण कदम है। इस नीति का लक्ष्य

आईसीटी के आधार पर इस क्षेत्र के विकास के लिए प्रौद्योगिकी शुरूआत और विशेष कौशल सेट को बढ़ावा देने, नवाचार, बेहतर व्यावसायीकरण, टिकाऊ बौद्धिक संपदा (आईपी) द्वारा संचालित वैश्विक सॉफ्टवेयर उत्पाद केंद्र के रूप में भारत को विकसित करना है।

II. शर्तें और परिभाषाएं

इस नीति के प्रयोजन से और इसके कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित शर्तों और परिभाषाओं पर विचार किया जाएगा:

क. भारतीय कंपनी: आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2 की उपधारा 26 के अनुसार "भारतीय कंपनी" से कंपनी अधिनियम, 1956 या कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत गठित और पंजीकृत कंपनी अभिप्रेत है, बशर्ते कि कंपनी, निगम, संस्था, एसोसिएशन या निकाय, जैसा भी मामला हो, का पंजीकृत कार्यालय या मुख्य कार्यालय भारत में हो।

ख. भारतीय सॉफ्टवेयर उत्पाद कंपनियां (आईएसपीसी): आईएसपीसी को एक ऐसी भारतीय कंपनी के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें 51% या अधिक शेयरधारिता भारतीय नागरिक या भारतीय मूल के व्यक्ति के पास है और सॉफ्टवेयर उत्पादों के विकास, व्यावसायीकरण, लाइसेंसिंग और बिक्री /सेवा में लगी हुई है और सॉफ्टवेयर उत्पाद (उत्पादों) के बौद्धिक संपदा (आईपी) अधिकार उसके पास हैं।

ग. सॉफ्टवेयर उत्पाद: सॉफ्टवेयर उत्पाद एक कंप्यूटर या नेटवर्क द्वारा प्रयुक्त या उत्पादित एक प्रोग्राम है जिसे किसी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से संग्रहीत या प्रसारित किया जा सकता है और किसी न किसी प्रकार की उपयोगिता प्रस्तावित करता है। इसके अलावा, इस तरह के उत्पाद को भारत में अनुमेय बौद्धिक संपदा अधिकार कानूनों के माध्यम से संरक्षित किया जा सकता है और लाइसेंस के माध्यम से उपयोग के लिए इसका व्यवसायीकरण किया जा सकता है।

घ. एमएसएमई: एमएसएमई की परिभाषा वही होगी जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (एमएसएमईडी) अधिनियम, 2006 या प्रशासनिक विभाग द्वारा समय-समय पर संशोधित नियमों के अनुसार की जाएगी।

ङ. स्टार्टअप: स्टार्टअप की परिभाषा वही होगी, जो 11 अप्रैल, 2018 को औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) द्वारा अधिसूचित राजपत्र अधिसूचना सं. जीएसआर 364 (ई) के अनुसार होगी या प्रशासनिक विभाग द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित की जाएगी।

III. विजन

एक सॉफ्टवेयर उत्पाद राष्ट्र के रूप में भारत को विकसित करना और बौद्धिक पूंजी संचालित सॉफ्टवेयर उत्पादों की अवधारणा, डिजाइन, विकास और उत्पादन के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी स्थिति में आना, इस प्रकार, देश के आईटी उद्योग के पूरे स्पेक्ट्रम के विकास में तेजी लाना है।

IV. मिशन

(i) बौद्धिक संपदा (आईपी) द्वारा संचालित एक टिकाऊ भारतीय सॉफ्टवेयर उत्पाद उद्योग के निर्माण को बढ़ावा देना, जिसके फलस्वरूप वर्ष 2025 तक वैश्विक सॉफ्टवेयर उत्पाद बाजार के हिस्से में दस गुना वृद्धि हो सके।

(ii) सॉफ्टवेयर उत्पाद उद्योग में 10,000 प्रौद्योगिकी स्टार्टअप को पोषित करना, जिसमें से टीयर-2 शहरों और टीयर-3 शहरों में ऐसी 1000 प्रौद्योगिकी स्टार्टअप शामिल हैं और 2025 तक 3.5 मिलियन लोगों के लिए प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रोजगार पैदा करना।

(iii) 3.2.3. सॉफ्टवेयर उत्पाद उद्योग के लिए प्रतिभा पूल बनाना (i) 1,000,000 आईटी पेशेवरों का कौशल उन्नयन (अप-स्किलिंग), (ii) स्कूल और कॉलेज के 100,000 छात्रों को प्रेरित करना और (iii) 10,000 पेशेवरों को विशेषज्ञ बनाना जो नेतृत्व प्रदान कर सकते हैं।

(iv) एकीकृत आईसीटी इंफ्रास्ट्रक्चर, मार्केटिंग, ऊष्मायन, आर एंड डी/टेस्ट बेड और सलाह देने वाले समर्थन वाले 20 क्षेत्रीय और रणनीतिक रूप से अवस्थित सॉफ्टवेयर उत्पाद विकास क्लस्टर विकसित करके क्लस्टर-आधारित नवाचार संचालित पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना।

(v) इस नीति के कार्यान्वयन के लिए योजनाओं और कार्यक्रमों को विकसित करने और निगरानी करने के प्रयोजन से सरकार, अकादमिक जगत और उद्योग जगत के साथ भागीदारी से राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर उत्पाद मिशन की स्थापना की जाएगी।

V. रणनीतियाँ

1. सॉफ्टवेयर उत्पाद व्यापार पारिस्थितिक तंत्र को बढ़ावा देना

i). उद्योग स्वामित्व के माध्यम से एक भारतीय सॉफ्टवेयर उत्पाद प्राधिकरण (रजिस्ट्री) बनाई जाएगी । यह भारतीय सॉफ्टवेयर उत्पादों के एक आम पूल के रूप में कार्य करेगा जिससे कि एक विश्वसनीय व्यापार वातावरण प्रदान किया जा सके।

ii). पूँजीगत बाजार में सॉफ्टवेयर कंपनियों की सक्रिय भागीदारी को सुविधाजनक बनाने के लिए एक अनुकूल वातावरण बनाया जाएगा।

iii). (i) आयात और निर्यात और (ii) सॉफ्टवेयर उत्पाद उद्यमों को खोलने और बंद करने के संबंध में कानूनी और नियामक मुद्दों की तेजी से ट्रैकिंग में भारतीय सॉफ्टवेयर उत्पाद उद्योग की सुविधा के लिए एक एकल विंडो प्लेटफ़ॉर्म स्थापित किया जाएगा ।

iv). भारतीय सॉफ्टवेयर उत्पादों के लिए एक वर्गीकरण प्रणाली एक मॉडल एचएस कोड के माध्यम से विकसित की जाएगी। मॉडल एचएस कोड को सॉफ्टवेयर उत्पादों के प्रकार, सेवाओं और हार्डवेयर विनिर्माण सहित अन्य आर्थिक क्षेत्रों के साथ इसके इंटर-लिंकेज के आधार पर आगे उप वर्गीकृत किया जाएगा। इस तरह के मॉडल वर्गीकरण से ऐसे उत्पादों के निर्यात पर नज़र रखने और सुगम बनाने में आसानी होगी। यह विशिष्ट क्षेत्रीय सॉफ्टवेयर उत्पादों को और बढ़ावा देने के लिए सांख्यिकीय आंकड़े तैयार करने में भी मदद करेगा।

v). भारतीय सॉफटवेयर उत्पाद कंपनियों को स्वदेशी सॉफ्टवेयर उत्पादों के अनुसंधान और विकास में किए गए निवेश (उपार्जित आधार पर) पर देय कर, यदि कोई हो, को सेट ऑफ करने के लिए अनुमति दी जाएगी।

2. रोजगार के लिए उद्यमिता और नवाचार को बढ़ावा देना

i). अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के प्रयोजन से कम से कम 10,000 सॉफ्टवेयर उत्पाद स्टार्टअप के पोषण के लिए ऊष्मायन का एक कार्यक्रम शुरू किया जाएगा जिससे 1 लाख लोगों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार अवसर पैदा होंगे। इनमें से 1000 स्टार्टअप को टीयर-2 शहरों और टीयर-3 शहरों में स्थापित करने का लक्ष्य रखा जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत (i) तकनीकी और बुनियादी ढांचा सहायता (ii) नेतृत्व सहायता, (iii) बीज निधि, (iv) आर एंड डी और परीक्षण सुविधाएं (v) विपणन और ब्रांडिंग समर्थन प्रदान करेगा।

ii). निधियों की निधि के रूप में 1000 करोड़ रुपए के कॉर्पस के साथ के एक समर्पित सॉफ्टवेयर उत्पाद विकास निधि (एसपीडीएफ) बनाई जाएगी। एसपीडीएफ बाजार के लिए तैयार सॉफ्टवेयर उत्पादों की अप स्केलिंग को बढ़ावा देने के लिए उद्यम फंड में भाग लेगा। यह निधि प्रौद्योगिकी और ज्ञान आधारित सॉफ्टवेयर उत्पाद स्टार्टअप उद्यमों की पूंजी आवश्यकताओं और बैंकों जैसे पारंपरिक संस्थागत उधारदाताओं से उपलब्ध वित्तपोषण के बीच के अंतर को दूर करेगी। यह योजना 5000 करोड़ रुपए का एक कॉर्पस बनाएगी, जिसका अंतिम लक्ष्य कम से कम 100 भारतीय सॉफ्टवेयर उत्पाद कंपनियों को शामिल करना होगा, जिनका मूल्य 500 करोड़ रुपए होगा या जो 200 व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करेंगी। सेबी दिशानिर्देशों के अनुसार एसपीडीएफ का वित्तीय प्रबंधन किसी पेशेवर वित्तीय संस्थान/परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी द्वारा किया जाएगा। ऐसी गतिविधि के प्रभाव से अन्य सहायता सेवाएं और आगे रोजगार पैदा होंगे।

iii). उच्च शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों में सॉफ्टवेयर उत्पादों पर अनुसंधान और नवाचार का समर्थन करने के लिए 500 करोड़ रुपए के बजटीय व्यय के साथ एक कार्यक्रम शुरू किया जाएगा, जिसमें सरकार, शिक्षा जगत और उद्योग जगत भागीदारी करेगा। कार्यक्रम का उद्देश्य उद्योग-शिक्षा जगत के क्षेत्र में अनुसंधान में मौजूदा अंतराल को दूर करना और अनुसंधान और नवाचार के माध्यम से आदर्श, उच्च गुणवत्तायुक्त, सस्ते सॉफ्टवेयर उत्पादों के विकास को सुकर बनाना है। आईपी विकास की ओर जाने वाले अकादमिक/शोध संस्थानों के साथ ऐसे सहयोगी शोध के लिए भारतीय एमएसएमई और स्टार्ट-अप को अनुदान सहायता के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस तरह के शोध परिणामों को भाग लेने वाले एमएसएमई के व्यवसायों में

अवशोषित किया जाए, ऐसे आवेदकों से इसी प्रकार का फंड सरकारी अनुदान के लिए पूर्व-आवश्यकता होगी। व्यावसायिक अनुवाद के फलस्वरूप नवाचार और अनुसंधान का पेशेवर तरीके से प्रबंधन करने के लिए स्थापित क्षमता वाले एक विशेषज्ञ संगठन की पहचान की जाएगी, जो फंड को कार्यान्वित करेगा।

iv). मंत्रालय, राज्य सरकारों और उद्योग निकायों / थिंक टैंक के साथ मिलकर सामाजिक चुनौतियों, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, कृषि, विशेष जरूरतों वाले व्यक्ति (दिव्यंगजन) आदि को हल करने के उद्देश्य से 20 समर्पित चुनौती अनुदानों को संगठित करने के लिए भी एक कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। सामाजिक चुनौतियों के लिए सॉफ्टवेयर उत्पाद समाधान की पहचान के लिए रिसर्च फंड इस तरह के चुनौती अनुदानों / हैकथॉन का भी समर्थन करेगा।

v). ऑटोमोबाइल, कपड़ा, वित्तीय सेवाओं, इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण, ऊर्जा आदि जैसे मौजूदा उद्योग बाहुल्य क्षेत्रों के आसपास 20 डोमेन विशिष्ट भारतीय सॉफ्टवेयर उत्पाद क्लस्टर बनाने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। इन क्लस्टरों में कम से कम 500 प्रौद्योगिकी स्टार्ट-अप के लिए एकीकृत आईसीटी इंफ्रास्ट्रक्चर, मार्केटिंग, ऊष्मायन, आर एंड डी / टेस्ट बेड और नेतृत्व सुविधाएं उपलब्ध होगी। कम 500 प्रौद्योगिकी कंपनियों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी जिससे कि ग्लोबल फुट प्रिंट का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके।

vi). उद्योग भागीदारी के साथ सॉफ्टवेयर उत्पादों के डिजाइन और विकास को बढ़ावा देने के लिए एक उत्कृष्टता केन्द्र स्थापित किया जाएगा।

vii). साइबर सुभेद्यता की पहचान करने और रोकने के लिए स्टार्टअप और सॉफ्टवेयर उत्पाद डिजाइनरों का समर्थन करने हेतु एक सामान्य अपग्रेड करने योग्य आधारभूत अवसंरचना बनाई जाएगी।

3. कौशल विकास और मानव संसाधन विकास

i). भविष्य की प्रौद्योगिकियों में प्रशिक्षित जनशक्ति की बड़े पैमाने पर आवश्यकता को पूरा करने के लिए उभरती हुई प्रौद्योगिकियों में 3 मिलियन आईटी पेशेवरों के अप-स्किलिंग/पुनः स्किलिंग के लिए एक भावी कार्यक्रम शुरू किया गया है। आईपी संचालित सॉफ्टवेयर उत्पादों के लिए आवश्यक दक्षताओं वाले 1 मिलियन आईटी पेशेवरों का प्रतिभा पूल बनाने के लिए सॉफ्टवेयर उत्पादों से

संबंधित मॉड्यूल पर एक विशेष जोर देने के तथ्य को इस कार्यक्रम में जोड़ा जाएगा। इसे (i) मौजूदा पाठ्यचर्या में संशोधन, (ii) अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम, (iii) उद्योग के साथ परामर्श से राष्ट्रीय योग्यता परीक्षण के माध्यम से कार्यान्वित किया जाएगा। इस कार्यक्रम का कार्यान्वयन सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र के शैक्षणिक संस्थानों, चिह्नित उद्योग निकायों और राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन के साथ साझेदारी से किया जाएगा।

ii). सॉफ्टवेयर उत्पाद विकास के लिए युवा प्रतिभा को प्रेरित करने के लिए स्कूल और कॉलेज के 100,000 छात्रों के लक्ष्य के साथ एक राष्ट्रीय "प्रतिभा त्वरक" कार्यक्रम शुरू किया जाएगा।

iii). उत्पाद उद्योग के लिए प्रौद्योगिकी और बौद्धिक पूंजी के विकास हेतु मूल्य श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए इस क्षेत्र के लिए 10,000 प्रतिबद्ध सॉफ्टवेयर उत्पाद प्रणेताओं का एक प्रतिभा पूल बनाया जाएगा जो विशिष्ट कौशल सेट की आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है और सॉफ्टवेयर उत्पाद इनक्यूबेटर और क्लस्टर के लिए सलाहकार पूल के साथ उपयुक्त रूप से अंतःस्थापित होगा।

4. घरेलू बाजार तक पहुंच में सुधार करना और सीमा पार व्यापार का संवर्धन

i). भारतीय सॉफ्टवेयर उत्पादों की रजिस्ट्री को सरकारी ई-मार्केट (जीईएम) के साथ एकीकृत किया जाएगा और यह विपणन साहयता के लिए भी आवश्यक सहयोग प्रदान करेगा।

ii). भारतीय उत्पाद स्टार्ट-अप/एमएसएमई को स्मार्ट शहरों, स्वास्थ्य, कृषि, ई-लर्निंग, परिवहन, फिन-टेक और जैसे सामाजिक चुनौतियों जैसे डिजिटल डिवाइड, लिंग असमानता को दूर करने, कम सुविधा और विशेषाधिकार प्राप्त नागरिकों और दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने के लिए समाधान विकसित करने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा। ऐसे स्टार्टअप/एमएसएमई की पहचान के लिए हैकथॉन की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी, जिन्हें सफल विकास पर उचित रूप से पुरस्कृत किया जाएगा।

iii). लगातार बढ़ते नवाचार को बढ़ावा देने और भारतीय सॉफ्टवेयर उत्पादों पारिस्थितिक तंत्र में अंतर-संचालन को प्रोत्साहित करने के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों के लिए ओपन एपीआई के कार्यान्वयन को बढ़ावा दिया जाएगा।

iv). सार्वजनिक खरीद (भारत में निर्मित को वरियता) आदेश, 2017 के अनुरूप सरकारी खरीद में भारतीय सॉफ्टवेयर उत्पाद के अधिमान्य समावेशन के लिए एक सक्षम ढांचा विकसित किया जाएगा।

v). अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विकास कार्यक्रमों में भारतीय सॉफ्टवेयर उत्पादों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा :

क) भारत के विदेशी सहायता कार्यक्रमों में भारतीय सॉफ्टवेयर उत्पादों को एकीकृत करना ।

ख) महत्वपूर्ण कार्यक्रमों, प्रदर्शनियों, व्यापार मेलों आदि में अभिनव उत्पादों और समाधानों को प्रदर्शित करने के लिए विभिन्न बाजार विकास सहायता कार्यक्रमों के तहत अवसर और पहुंच प्रदान करना।

ग) वैश्विक बाजारों में भारतीय नवाचार की उपस्थिति को बढ़ाने हेतु सॉफ्टवेयर उत्पाद विकास के लिए भारत और विदेश में विशिष्ट अवसंरचना की स्थापना करना।

घ) उद्योग को प्रमुख भारतीय भाषाओं के बीच भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने और उनके और अंग्रेजी सहित प्रमुख अंतरराष्ट्रीय भाषाओं के बीच तकनीकी सेतु बनाने के लिए उत्पाद विकसित करने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा और वित्तीय सहायता दी जाएगी ।

5. कार्यान्वयन तंत्र

i). सरकार सरकार, शिक्षा और उद्योग के साथ भागीदारी से एक संयुक्त सचिव के अधीन इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्राद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) में एक "राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर उत्पाद मिशन (एनएसपीएम)" की स्थापना करेगी।

ii). मिशन के व्यापक उद्देश्य निम्नानुसार होंगे: -

क) सॉफ्टवेयर उत्पाद उद्योग के विकास के लिए उचित रणनीति तैयार करना ताकि इसकी क्षमता का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित किया जा सके और भारत को वैश्विक सॉफ्टवेयर उत्पाद हब के रूप में स्थापित किया जा सके।

ख) आईसीटी के उपयोग के आधार पर डिजाइन, विकास, नवाचार, मूल्य वृद्धि के लिए एक सक्षम पारिस्थितिक तंत्र सुनिश्चित करने के लिए विशिष्ट नीतिगत उपायों की सिफारिश करना।

ग) सॉफ्टवेयर उत्पाद उद्योग के लिए घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों की पूरी क्षमता का भरपूर उपयोग करने के लिए की जाने वाली विशिष्ट पहलों की सिफारिश करना।

घ) इस नीति के तहत 3.5 मिलियन रोजगार के अवसर पैदा करने और 2025 तक सॉफ्टवेयर उत्पादों के राजस्व को दस गुना बढ़ाने के उद्देश्य से विभिन्न पहलों की निगरानी करना और एकत्रित करना।

ड.) इस नीति के तहत परिकल्पित विभिन्न कार्यक्रमों के लिए विशिष्ट सॉफ्टवेयर उत्पादों के प्रचार में विभिन्न सरकारी एजेंसियों और अन्य निकायों की सुविधा प्रदान करना।

च) राज्यों को कार्यक्रमों में भाग लेने और इस नीति के अनुरूप भारतीय सॉफ्टवेयर उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करना।

छ) एसपीडीएफ, रिसर्च एंड इनोवेशन फंड की निगरानी करना।

ज) संदर्भ की आवश्यकतानुसार कोई अन्य उपाय करना।

iii). नीति का कार्यान्वयन एनएसपीएम की सिफारिश के अनुसार उपयुक्त कार्यक्रम और योजनाएं शुरू करके एमईआईटीवाई द्वारा किया जाएगा, जिसमें एमईआईटीवाई के संगठन जैसे प्रगत संगणन विकास केंद्र (सीडीएसी), राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी), उद्योग और उद्योग निकाय और उच्चतर शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों के अलावा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया (एसटीपीआई) प्रमुख भूमिका निभाएंगे।

****